



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128651

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19073 वर्ष 2026

रवि उर्फ शूटर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	राम राज पांडे, शुभम पांडे
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. आज दाखिल किया गया पूरक शपथपत्र अभिलेख में लिया जाता है।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मामला अपराध संख्या 51 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 308(5), 351(4) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन, जिला मुजफ्फर नगर में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 4.3.2026 में आवेदक का नाम नहीं है। इसके बाद, 6.3.2026 को पुलिस दल पर फायरिंग के मामले में आवेदक और सह-अभियुक्त प्रताप

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चौधरी को गिरफ्तार किया गया और सह-अभियुक्त प्रताप चौधरी का संस्वीकृति अभिकथन दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा है कि उसने आवेदक के मोबाइल फोन का उपयोग किया और उससे फिरौती की मांग की। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि सह-अभियुक्त के संस्वीकृति अभिकथन के अलावा आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके मोबाइल फोन का उपयोग सह-अभियुक्त ने फिरौती की मांग करने के लिए किया था। आवेदक का आपराधिक इतिहास पूरक शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 2 में अच्छी तरह से बताया गया है। आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 169 वर्ष 2024, पुलिस स्टेशन बलानी, जिला बागपत के अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदक 7.3.2026 से जेल में दिन काट रहा है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि आवेदक के विरुद्ध अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

6. मैंने पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, आपराधिक पूर्ववृत्त के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए मामला स्थापित कर दिया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले अपराध में संलिप्त आवेदक- रवि उर्फ शूटर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचनबंध देना होगा कि जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, परीक्षण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता/ 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक परीक्षण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/ 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार अंतर्गत धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता/ 209 भारतीय न्याय संहिता की कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (i) वाद आरम्भ करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/ 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिकथन दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो परीक्षण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का यह एक आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में किए गए संप्रेक्षण किसी भी तरह से विद्वान परीक्षण न्यायाधीश को साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 जून, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।